

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

सा.का.नि. 225(अ).—भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i), में तारीख 17 नवंबर, 2006 में सा.का.नि. 708(अ) तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 1 से 3 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 से संबंधित है, के पृष्ठ 1 पर नियम 2 के खंड (च) में "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' के स्थान पर "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 10ख की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' पढ़ें।

[फा. सं. 5/2/2007-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd March, 2007

G.S.R. 225(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Company Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th November, 2006, vide G.S.R. 708 (E) dated the 17th November, 2006, at pages 4 to 8, in respect of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, at page 4, in rule 2, in clause (f) for "Tribunal" means the Tribunal formed under Sub-section (1) of Section 1 of the Act', read "Tribunal" means the Tribunal formed under Sub-section (1) of Section 10B of the Act'.

[F.No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

सा.का.नि. 226(अ).—भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 17 नवंबर, 2006 में सा.का.नि. 710(अ) तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 1 से 3 जो लागत और सकर्म लेखापाल (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 से संबंधित है,—

(1) पृष्ठ 1 पर—

(क) नियम 2 की परिभाषाओं में,—

(i) क्रम सं. "(छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) और (ठ) के स्थान पर "(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)" पढ़ें।

(ii) खंड (च) में "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' के स्थान पर "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 10ख की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' पढ़ें।

(2) पृष्ठ 2 पर नियम 3 के उपनियम (3) में क्रम सं. "(च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" के स्थान पर "(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ)" पढ़ें।

[फा. सं. 5/2/2007-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd March, 2007

G.S.R. 226(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Company Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th November, 2006, vide G.S.R. 710(E) dated the 17th November, 2006, at pages 4 to 8, in respect of the Cost and Works Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006,—

(1) at page 4,—

(a) in rule 2, in the Definitions,—

(i) for serial numbers "(g), (h), (i), (j), (k) and (l)" read "(a), (b), (c), (d), (e) and (f)";

(ii) in clause (f), for "Tribunal" means the Tribunal formed under Sub-section (1) of Section 1 of the Act', read "Tribunal" means the Tribunal formed under Sub-section (1) of Section 10B of the Act';

(2) at page 5, in sub-rule (3), of rule 3, for serial numbers "(f), (g), (h), (i) and (j)", read "(a), (b), (c), (d) and (e)".

[F.No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

सा.का.नि. 227(अ).—भारत सरकार में कंपनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 17 नवंबर, 2006 में सा.का.नि. 709(अ) तारीख 17 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 1 से 3 जो कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 से संबंधित है,—

(1) पृष्ठ 1 पर—

(क) नियम 2 की परिभाषाओं में,—

(i) क्रम सं. "(ड), (ढ), (ण), (त), (थ) और (द)" के स्थान पर "(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)" पढ़ें।

(ii) खंड (त्र) में "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' के स्थान पर "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 10ख की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया अधिकरण अभिप्रेत है' पढ़ें।

(2) पृष्ठ 2 पर नियम 3 के उप-नियम (3) में क्रम सं. "(ट), (ठ), (ड), (ढ) और (ण)" के स्थान पर "(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ)" पढ़ें।

[फा. सं. 5/2/2007-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd March, 2007

G.S.R. 227(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Company Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th November, 2006, vide G.S.R. 709(E) dated the 17th November, 2006, at pages 4 to 8, in respect of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006,—

(1) at page 4.—

(a) in Rule 2, in the Definitions,—

(i) for serial numbers "(m), (n), (o), (p), (q) and (r)" read "(a), (b), (c), (d), (e) and (f)";

(ii) in clause (f), for "Tribunal" means the Tribunal formed under sub-section (1) of Section 1 of the Act', read "Tribunal" means the Tribunal formed under sub-section (1) of Section 10B of the Act'.

(2) at page 5, in sub-rule (3), of rule 3, for serial numbers "(k), (l), (m), (n) and (o)", read "(a), (b), (c), (d) and (e)".

[F.No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.